

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या-962(2)/छ:-पु0-9-16-31(51)/2002टीसी-1
लखनऊ: दिनांक: 01 जून,2016

कार्यालय-ज्ञाप

स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के लिये प्रस्तावित 'प्लान आफ एक्शन' के सफल कार्यान्वयन, पुनरावलोकन तथा अनुश्रवण के संबंध में पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में "स्टेट लेवल ड्रग लॉ इन्फोर्समेन्ट मानीटरिंग कमेटी (राज्य स्तरीय समिति)" का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1	पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, कारागार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3	पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
4	पुलिस महानिदेशक,रेलवे, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
5	अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
6	अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, प्रभारी एण्टी-नारकोटिक्स सेल, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य संयोजक
7	अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
8	पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र/रेलवे, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9	आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद्,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
10	आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
11	औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ	सदस्य
12	जोनल डायरेक्टर, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार, क्षेत्रीय इकाई, लखनऊ	सदस्य
13	उप नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भारत सरकार, लखनऊ	सदस्य
14	आयुक्त, सीमा शुल्क, भारत सरकार, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
15	पुलिस महानिरीक्षक, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, भारत सरकार, लखनऊ	सदस्य
16	सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, साफेम (फोप) एण्ड एन0डी0पी0एस0 एक्ट, 1985, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
17	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
18	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
19	निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
20	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
21	निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
22	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, द्वारा नामित अधिकारी (राज्य मद्य निषेध अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ)	सदस्य
23	परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
24	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
25	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य

उक्त के अतिरिक्त समिति की बैठक में पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ अन्य विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकते हैं।

“स्टेट लेवल ड्रग लॉ इन्फोर्समेन्ट मानीटरिंग कमेटी (राज्य स्तरीय समिति)” के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं:-

- (1)- उत्तर प्रदेश में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों व नियंत्रित पदार्थों की मॉग को नियंत्रित करने एवं उसके अवैध उत्पादन एवं व्यापार की रोकथाम हेतु प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण।
- (2)- नारकोटिक्स से सम्बन्धित अपराधों से निपटने के लिए सम्बन्धित विभागों यथा आबकारी, राजस्व, स्वास्थ्य, औषधि नियंत्रक, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि प्रदेशीय एवं नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, कस्टम, एक्साइज, सक्षम प्राधिकारी, नारकोटिक्स आयुक्त आदि केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा समन्वित रणनीति बनाना एवं अनुश्रवण।
- (3)- राज्य स्तरीय/परिक्षेत्र स्तरीय व जनपद स्तरीय नारकोटिक्स सेलों के कार्यों का मूल्यांकन।
- (4)- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों व नियंत्रित पदार्थों का सीधा सम्बन्ध स्वास्थ्य से है एवं एड्स की बीमारी फैलने से है, अतएव इन पदार्थों के सेवन से प्रभावित व्यक्तियों के डी-एडिक्शन व पुर्नवास के संबंध में नीति निर्धारण एवं अनुश्रवण।
- (5)- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों व नियंत्रित पदार्थों के कुप्रभावों के प्रति जागरुकता लाने के लिए विभिन्न विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, स्कूल-कालेज, विश्वविद्यालय आदि को समय-समय पर अभियान चलाने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनके द्वारा कृत कार्यवाही का अनुश्रवण।


मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

संख्या-962(3)/छ:-पु0-9-2016, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, कारागार, उ0प्र0, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस महानिदेशक,रेलवे, उत्तर प्रदेश।
5. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0, लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, प्रभारी एण्टी-नारकोटिक्स सेल, अपराध शाखा, अप0अनु0वि0, उ0प्र0, लखनऊ(द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ)।
7. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ, उ0प्र0, लखनऊ(द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ)।
8. पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र/रेलवे, उत्तर प्रदेश(द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ)।
9. आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद्,उ0प्र0 लखनऊ।
10. आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11. औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
12. जोनल डायरेक्टर, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार, क्षेत्रीय इकाई, लखनऊ(द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ)।

13. उप नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भारत सरकार, लखनऊ(द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ)।
14. आयुक्त, सीमा शुल्क, भारत सरकार, लखनऊ (द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपराधशाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ)।
15. पुलिस महानिरीक्षक, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, भारत सरकार, लखनऊ(द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ)।
16. सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, साफेम (फोप) एण्ड एनडीपीएस0 एक्ट, 1985, भारत सरकार, नई दिल्ली(द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, लखनऊ)।
17. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
19. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
20. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
21. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
22. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश (राज्य मद्य निषेध अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ)।
23. परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ।
24. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश।
25. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
26. प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को गृह विभाग की वेबसाइट पर निर्गमन हेतु।
27. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।